राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः–एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/275(1) करौली/2019–20 दिनांकः– 11/12/19

54985-95

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, करौली ।

विषयः– संविधान की धारा अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सामुदायिक भवन निर्माण (सार्वजनिक विश्राम गृह) की वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भः– आपका पत्रांक 1057 दिनांक 05.11.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 35777 दिनांक 17.09.2019 द्वारा सार्वजनिक विश्राम गृह निर्माण, ग्रा.पं. भोपुर, पं.स. टोडाभीम, की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति को नियुक्त किया गया। पंचायत समिति टोडाभीम से तकनीकी स्वीकृति तकनीमा मय ड्राईग प्राप्त होने से वित्तीय स्वीकृति राशि रू 5.00 लाख की निम्नानुसार जारी की जाती है एवं कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत को नियुक्त किया जाता है।

कार्यकारी एजेन्सी– ग्राम पंचायत

(राशि लाखो में)

क.स.	कार्य का नाम	ग्रा.प./ पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि	राशि	क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	सामुदायिक भवन निर्माण (सार्वजनिक विश्राम गृह) भोपुर	भोपुर/ टोडाभीम	35777 17.09.2019	05.00	JTA/PS Todabhim 22451/ 22.10.19	05.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–78/2018–19 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि मे से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते मे उपलब्ध है।

शर्ते :–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारम्भ कराया जावें। प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
3. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। **आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावें।**
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।

6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. कार्य के गुणवत्तापूर्वक्र सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्त्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
8. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जावें।

भवदीया

(शिवांगी स्वर्णकार)I.A.S.
आयुक्त

क्रमांकः–एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/275(1)/करौली/2019–20 ५५९८५-९५ दिनांकः– 11/12/19

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, करौली।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) करौली।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि संविधान की धारा 275 (1) अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 78/2018–19 द्वारा सामुदायिक भवन योजना हेतु प्राप्त राशि में से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) करौली को राशि 05.00 लाख रु हस्तान्तरित करावें।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोडाभीम, जिला करौली।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

sd
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)